यह निरीक्षण आख्या कार्यालय **निदेशक समाज कल्याण, उत्तराखण्ड हल्द्वानी, नैनीताल** द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के आधार पर तैयार की गयी है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गई किसी त्रुटिपूर्ण सूचना अथवा अप्राप्त सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **निदेशक समाज कल्याण, उत्तराखण्ड हल्द्वानी, नैनीताल** के अवधि 07/2014 से 03/2016 तक के लेखा–अभिलेखों की लेखापरीक्षा श्री अरिन्दम चटर्जी एवं श्री सुनील कुमार सिन्हा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 19.04.16 से 26.04.16 तक श्री डी.एन. मिश्रा, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में तक संपादित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

भाग–प्रथम

(अ) परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री श्रवण कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री राज बहादुर, स.ले.प.अ. द्वारा दिनांक 04.07.2014 से 14.07.2014 तक श्री राकेश कुमार, लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पन्न की गयी थी। जिसमें माह 06/2011 से 06/2014 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

वर्तमान में माह 07/2014 से 03/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

1. विगत लेखापरीक्षा से अब तक निम्नलिखित अधिकारियों ने कार्यायाध्यक्ष का पदभार संभाले रखा :

1. श्री विष्णु सिंह धानिक, निदेशक 09.09.2014 से वर्तमान तक

ब. विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अद्यतन स्थिति :

क्र.सं.	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन/वर्ष	प्रस्तर संख्या		
		भाग–2 अ	भाग–2 ब	स्टैन
01	65/2014–15	03	04	–
02	23/2011–12	04	02	–
03	14/2007–08	–	07	–
04	20/2006–07	–	06	–
05	66/2005–06	04	03	–

स. सतत् अनियमिततायें – शून्य

द. अप्रस्तुत अभिलेख (कारण सहित) – विगत लेखापरीक्षा श्री अनुपालन आख्या अप्रस्तुत।

6. बजट :

(धनराशि ` लाख में)

वर्ष	आयोजनेत्तर		आयोजनागत	
	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय
2013–14	12852.35	12491.48	56316.06	56098.64
2014–15	19840.27	18669.58	90652.32	80325.52
2015–16	16908.93	15937.19	73963.79	68862.12

भाग–दो 'ब'

प्रस्तर 1 : छात्रवृत्ति की धनराशि ` 3.21 करोड़ बिना उपयोग समर्पित किया जाना तथा उद्देश्य अपूर्ण रहना।

जनपद कार्यालयों के मांगानुसार, छात्रवृत्ति की धनराशि संबंधित जनपदों को आवंटित की जाती है ताकि आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष के अंतर्गत कर सके।

निदेशालय, समाज कल्याण विभाग के दशमोत्तर छात्रवृत्ति (एस.सी./ओ.बी.सी.) संबंधी लेखा अभिलेखों की जांच में पाया कि वर्ष 2013–14 से 2015–16 के अंतर्गत कुल ` 3.21 करोड़ की धनराशि बिना उपभोग किये, शासन को समर्पित किया गया जिसका विवरण निम्नवत् है :

(` करोड़ में)

वर्ष	निदेशालय को राज्य सरकार से प्राप्त धनराशि			व्यय धनराशि			समर्पित धनराशि
	एस.सी.	ओ.बी.सी.	कुल योग	एस.सी.	ओ.बी.सी.	कुल योग	
2013–14	28.70	74.91	103.61	28.69	74.90	103.59	0.02
2014–15	36.68	96.84	133.52	33.79	96.82	130.61	2.91
2015–16	15.11	8.64	23.75	14.83	8.64	23.47	0.28
						कुल योग	**3.21 करोड़**

लेखापरीक्षा द्वारा आगे पाया गया कि ` 2.93 करोड़ की धनराशि वित्तीय वर्ष 2013–14 से 2015–16 के अंतर्गत उपभोग नहीं किया जा सका तथा शासन को समर्पित कर दिया गया जबकि 8 जनपदों के जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय के अंतर्गत 4624 अवशेष लाभार्थियों की देयता का भुगतान किया जाना शेष था तथा वित्तीय वर्ष 2015–16 में 93,629 लाभार्थियों की अवशेष देयता का भुगतान किया जाना शेष था फिर भी ` 0.28 करोड़ की धनराशि बिना उपभोग किये शासन को समर्पित किया गया। इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2013–14 से 2015–16 के अंतर्गत छात्रवृत्ति योजना की धनराशि ` 3.21 करोड़, बिना उपभोग किये शासन को समर्पित किया गया परिणामस्वरूप 98,253 लाभार्थियों को छात्रवृत्ति की धनराशि प्राप्ति से वंचित होना पड़ा।

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर निदेशालय द्वारा बताया गया कि वित्तिय वर्ष के अन्तिम माह में धनराशि प्राप्त होने के कारण दशमोत्तर छात्रवृत्ति का वितरण नहीं किया जा सका। अतः धनराशि समर्पित की गयी। विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि जनपदों के जिला समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालयों के द्वारा दशमोत्तर छात्रवृत्ति की लाभार्थियों एवं उनकी देयता धनराशी के सापेक्ष निदेशालय से बजट आवंटन की माँग की जाती है तो फिर जनपद के जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा धनराशि ₹ 3.21 करोड़ समर्पित कर दिया। परिणामस्वरूप उक्त तीन वर्षो में SC/OBC के कुल 98253 लाभार्थियों को छात्रवृत्ति की धनराशि प्राप्ति से वंचित रहना पड़ा जिससे उद्देश्य अपूर्ण रहा।

इस प्रकार छात्रवृत्ति की धनराशि ₹ 3.21 करोड़ बिना उपभोग समर्पित किया जाना तथा उद्देश्य अपूर्ण रहने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग–दो 'ब'

प्रस्तर 02 : विभागीय उदासीनता के चलते छात्रावास के निर्माण पर ` 2.76 करोड़ व्ययोपरान्त निर्माण कार्य अधूरा पड़े रहना तथा उद्देश्य प्राप्ति अपूर्ण रहना।

हेमवन्ती नन्दन बहुगुणा विश्वविद्यालय, श्रीनगर में अनुसूचित जाति के छात्राओं हेतु 50 बैड के छात्रावास का निर्माण किया जाना था ताकि अनुसूचित जाति के छात्राओं को समयान्तर्गत छात्रावास का लाभ प्राप्त हो सके।

हेमवन्ती नन्दन बहुगुणा विश्वविद्यालय, श्रीनगर के चौरास परिसर में अनुसूचित जाति की छात्राओं के 50 बैड के लिए छात्रावास के निर्माण हेतु ` 68.10 लाख की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई थी जिसके सापेक्ष ` 15.00 लाख की प्रथम किस्त की स्वीकृति प्रदान की गयी (2006) जिसे कार्यदायी संस्था को आवंटित की गयी। शासनादेश (दिनांक 06 फरवरी 2007) के द्वारा पुनः ` 15,64,500.00 दूसरी किस्त की स्वीकृति प्रदान की गयी जिसे कार्यदायी संस्था को कुल ` 3064500.00 की धनराशि अवमुक्त की गयी जिसका उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित करते हुए कार्यदायी संस्था द्वारा शेष धनराशि ` 37.00 लाख की मांग की गयी थी। निर्माण सम्बन्धित लेखा अभिलेख की जांच में पाया कि ` 68.10 लाख कुल स्वीकृति के सापेक्ष शेष धनराशि 37 लाख प्राप्ति न होने पर निर्माण कार्य (12/2009 से 5/2011 तक) बंद रखा गया तथा वर्ष 2008–09 में पुनरीक्षित आंगणन ` 222.19 लाख स्वीकृति हेतु शासन को प्रेषित किया गया जिसकी स्वीकृति अप्राप्त थी। लेखापरीक्षा में आगे पाया गया कि कार्यदायी संस्था को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से पुनरीक्षित आगंणन ` 310.87 लाख (11/2012) की स्वीकृति प्राप्त हुई थी जिसके सापेक्ष विश्वविद्यालय द्वारा 100.00 लाख एवं 100.00 लाख (4/2013) में कार्यदायी संस्था को कुल अवमुक्त ` 310.87 के सापेक्ष 06/2015 तक कुल ` 275.99 लाख की धनराशि व्यय की गयी थी परन्तु निर्माण कार्य लेखापरीक्षा अवधि तक 4/2016 तक अधूरा था। इस प्रकार छात्रावास निर्माण पर ` 275.99 लाख धनराशि व्यय किये जाने के बाद 10 वर्षों के बाद भी निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किया गया

परिणामस्वरूप छात्रावास के लाभ प्राप्ति से लाभार्थियों को वंचित रखा गया जिससे विभागीय शिथिलता परीलक्षित होती है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा बताया गया कि शासनादेश से समयान्तर्गत धनराशि प्राप्त न होने से निर्माण कार्य बंद रखा गया था इसलिए निर्माण कार्य 9 वर्षों के बाद भी पूर्ण नहीं किया जा सका।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि छात्रावास की आवश्यकता के आधार पर छात्राओं के लिये छात्रावास निर्माण के लिए ` 68.10 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी, लेकिन विभाग द्वारा कार्यदायी संख्या को पूर्ण स्वीकृत धनराशि उपलब्ध नहीं करायी गयी। इस संबंध में विभाग द्वारा कोई अपेक्षित कार्यवाही नहीं की गयी बल्कि कार्यदायी संस्था को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से पुनरीक्षित धनराशि ` 310.87 लाख प्राप्त करना पड़ा। परिणामस्वरूप छात्रावास का निर्माण 10 वर्षों से अपूर्ण रहने के कारण छात्राओं को छात्रावास की सुविधा प्राप्ति से वंचित रहना पड़ा।

इस प्रकार विभागीय उदासीनता के चलते 10 वर्षों के लम्बे समय अन्तराल के बाद भी छात्रावास के निर्माण पर ` 2.76 करोड़ व्ययोपरांत छात्रावास का निर्माण कार्य अधूरा पड़ा था तथा उद्देश्य प्राप्ति अपूर्ण रहने का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग–दो 'ब'

प्रस्तर 3 : नियमों की अनदेखी कर योजना की धनराशि शासकीय खाता से आहरित कर ` 677 लाख बैंक में अवरूद्ध रखा जाना तथा लाभार्थियों को लाभ प्राप्ति से वंचित रखा जाना।

वित्तीय हस्पुस्तिका भाग 5 के पैरा 162 के अनुसार, कोषागार से उतनी धनराशि ही आहरित की जानी अपेक्षित है जितनी धनराशि की व्यय हेतु अत्यन्त आवश्यकता हो। बजट व्ययगत (Budget lapse) या मांग की प्रत्याशा में धनराशि को आहरित कर बैंक में जमा रखना आपत्तिजनक है।

गौरा देवी कन्या धन योजना की लेखा अभिलेखों की जांच में लेखापरीक्षा द्वारा पाया कि वित्तीय वर्ष 2014–15 में तीन जनपद के जिला समाज कल्याण अधिकारी टिहरी, चम्पावत, देहरादून के द्वारा सामान्य/अनुसूचित जाति के लाभार्थियों हेतु प्रति 50 हजार लाभार्थी की दर से की गयी मांग तथा मांग के सापेक्ष निदेशालय समाज कल्याण द्वारा शासन से स्वीकृति प्राप्तकर धनराशि को जनपदवार आवंटित किया गया था जिसका विवरण निम्नवत् है –

क्र.सं.	जनपद कार्यालय का नाम	वर्ष 2014–15 के अंतर्गत लाभार्थियों हेतु धनराशि का विवरण		कुल आवंटित धनराशि
		(सामान्य)	(अनुसूचित)	
1	2	3	4	5
1	टिहरी गढ़वाल	1597	218.50	1815.50
2	देहरादून	1350	409.50	1759.50
3	चम्पावत	495	96.50	591.50
			योग	4166.50

लेखापरीक्षा द्वारा आगे पाया कि वर्ष 2014–15 में जिला समाज कल्याण अधिकारी (टिहरी, चम्पावत, देहरादून) को मांगानुसार आवंटित धनराशि ` 4166.50 के सापेक्ष मात्र 3489.50 लाख धनराशि लाभार्थियों को वितरण किया गया तथा शेष धनराशि को सामान्य/अनुसूचित

जाति के लाभार्थियों को बिना लाभान्वित/वितरित किये बैंक में 6 माह से अवरूद्ध रखा गया तथा बाद में निदेशालय को समर्पित/वापस कर दिया गया जिसका विवरण निम्नलिखित है–

जनपद का नाम	समर्पित धनराशि (सामान्य)	समर्पित धनराशि (अनुसूचित)	कुल समर्पित धनराशि	प्राप्ति धनराशि चैक संख्या/दिनांक	समर्पित धनराशि चैक संख्या/दिनांक	विलम्ब की अवधि
टिहरी	106.00	–	106.00	4882 30.03.15	951298 03.09.15	6 माह
देहरादून	345.50	173.00	518.50	4882 30.03.15 4884 30.03.15	266471 03.10.15 292212 30.09.15	6 माह
चम्पावत	43.00	9.00	52.50	4884 30.03.15	461941 01.10.15 461942 01.10.15	6 माह 6 माह
कुल योग			**677 लाख**			

लेखापरीक्षा द्वारा पुनः पाया कि उक्त तीनों जिला समाज कल्याण अधिकारी (टिहरी, देहरादून, चम्पावत) द्वारा निदेशालय को समर्पित धनराशि ` 677 लाख को निदेशालय द्वारा भी शासन को समर्पित करने के बजाय 6 माह से बैंक में नियम विरूद्ध अवरूद्ध रखा गया परिणामस्वरूप योजना का लाभ से 1354 लाभार्थियों को वंचित रखा गया।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर निदेशालय द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त तीनों जनपदों के जिला समाज कल्याण अधिकारी (टिहरी, देहरादून, चम्पावत) से स्पष्टीकरण मांगा गया है। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि तीनों जिला समाज कल्याण (टिहरी, देहरादून एवं चम्पावत) द्वारा लाभार्थियों के वास्तविक संख्या के आधार पर ही निदेशालय का मांगपत्र प्रेषित की जानी अपेक्षित थी जबकि जनपदों के द्वारा (1354X50) ` 677 लाख (लाभार्थियों को 50 हजार की दर से) की मांगपत्र लाभार्थियों की वास्तविक संख्या के आधार पर नहीं मांगा गया था क्योंकि उक्त लाभार्थियों को योजना का लाभ न देकर ` 677 लाख धनराशि को कोषागार से आहरित कर जनपद को कार्यालयों के बैंक में अवरूद्ध रखा गया तथा विलम्ब से निदेशालय को समर्पित धनराशि को निदेशालय द्वारा भी शासन को समर्पित न कर बैंक में नियम विरूद्ध रखा गया। परिणामस्वरूप, योजना का लाभ प्राप्ति से 1354 लाभार्थियों को वंचित रखा गया।

इस प्रकार नियमों की अनदेखी कर योजना की धनराशि को शासकीय खाते से आहरित कर ` 677 लाख बैंक में अवरूद्ध रखा गया तथा लाभार्थियों को योजना का लाभ प्रदान करने से वंचित रखे जाने का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग–2 'ब'

प्रस्तर 04 : ₹ 3.68 करोड़ धनराशि के छात्रावास योजना विगत 5 वर्ष से अपूर्ण हो कर रह जाना।

भारत सरकार के पत्र संः– 11015/17/2010 –BC–I दिनांक 25-07-2011 के माध्यम से केन्द्रपोषित योजना जिसमें उत्तराखण्ड के द्वाराहाट मे कुमाँऊ इंजीनियरिंग कॉलेज के पिछड़ी जाति छात्र–छात्राओ के लिए छात्रावास निर्माण कराया जाना था। छात्रावास मे छात्राओं के 78 वेडेड एवं छात्रों के 100 वेडेड की निर्माण हेतु कुल लागत ₹ 362.55 लाख मे से केन्द्रांश ₹ 1,24,60,000.00 दिनाँक 25–07–2011 को प्रदान किया गया था। पत्र में यह भी प्रकाश था कि अवशेष धनराशि अर्थात (362.55 – 124.60) ₹ 237.95 लाख राज्य सरकार की वहन करना है साथ ही धनराशि के स्वीकृत तिथि से एक वर्ष के भीतर कार्य सम्पूर्ण कराना है।

शासन के पत्र सः 352(1) /xvii – 3/12-01 (OBC) /2011दिनाँक 24-04-2012 के माध्यम से छात्रावास निर्माण हेतु उः प्रः राः निः निः लिः अल्मोडा द्वारा प्रथम चरण के कार्य हेतु प्रारम्भिक आगणन ₹ 217.26 + 200.60 = ₹ 417.86 लाख का प्रस्ताव दिया गया था एवं वित्त विभाग के तकनीकी परीक्षाणोपरान्त ₹ 191.59 + ₹176.64 = ₹ 368.23 लाख की औचित्यपूर्ण धनराशि पर प्रशासनिक एवं वित्तिय स्वीकृति प्रदान किया गया था।

केन्द्र सरकार के प्रदान की गई धनराशि दिनाँक 25–07–2011 से लेखापरीक्षा तिथि तक छात्रावास योजना में आवंटित धनराशि विवरण–

	छात्र सः	प्राप्त केन्द्रांश	प्राप्त राज्यांश	कुल अवमुक्त

				राशि
छात्र	100	70.00 लाख	70.00 लाख	140.00 लाख
छात्रायें	78	54.60 लाख	54.60 लाख	109.20 लाख
	योग	**124.60 लाख**	**124.60 लाख**	**249.20 लाख**

उपरोक्त अवमूवन धनराशि के सापेक्ष में निर्माण निगम, अल्मोडा के पत्र सः 219/78 – 100 Hostel राः निः निः /अल्मोडा /2014 दिनाँक 15–07–20104 द्वारा ₹ 200.00 लाख की उपयोगीता प्रमाणपत्र प्रोद्योगीकी संस्थान, द्वाराहाट को प्रस्तुत ेराया गया था एवं लेखापरीक्षा में पुछे जाने पर निदेशालय के तरफ से बताया गया कि शेष ₹ 49.20 लाख की उपयोगिता प्रमाण पत्र अपेक्षित है।

प्रोद्योगीकी संस्थान, दवाराहाट के छात्रावास के कुल लागत ₹ 368.23 लाख के धनराशि ₹ 249.20 लाख का व्यय होने के उपरान्त शासन स्तर के पत्र सः 267/xvii -02 / 2015 – 03 (OBC) / 2012 दिनाँक 23-02-2015 दवारा निदेशक, समाज कल्याण, हल्द्वानी को अवगत कराया गया कि अवशेष धनराशि (368.23 – 249.20) = ₹ 119.03 लाख का वहन सम्बन्धित संस्था अर्थात प्रोद्योगिकी संस्थान, द्वाराहाट द्वारा अपने निजी स्रोतो/ अनुदान से वहन किया जायेगा तथा उक्त निर्माण कार्य हेतु राज्य सरकार कोई धनराशि निर्गत नहीं करेगी। शासन के आदेश के परिपेक्ष में निदेशालय के माध्यम से कार्यदायी संस्था को अवगत कराया गया था।

लेखापरीक्षा जांच में देखा गया कि छात्राओ के छात्रावास हेतु कुल व्यय किया गया धनराशि ₹ 109.20 लाख मे विभाग द्वारा निर्माण प्रगति 100 दर्शाया गया परन्तु पुछे जाने पर बताया गया कि उक्त छात्रावास की हस्तान्तरण अपेक्षित है अर्थात छात्रावास अभी तक छात्राओ के उपयोग मे लाया नही गया।

छात्रों के छात्रावास की निर्माण प्रगति विभाग द्वारा 52 प्रतिशत दर्शाया गया है एवं निर्माण की प्रगति धनराशि की उपलब्धता मे निर्भर है।

अर्थात केन्द्रपोषित छात्रावास योजना जो कि केन्द्रांश प्राप्ति दिनाँक 25/07/2011 को प्रारम्भ हुआ था, 5 वर्ष उपरान्त होने के बाद भी पूर्ण न हो पाया साथ ही पिछडी जाति के छात्र–छात्राये भी छात्रावास प्राप्ति से वंचित रहा।

प्रकरण को उच्चाधिकारी के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग – 2 ब

प्रस्तर 05 : ₹ 4.00 करोड धनराशि बैंक खाते मे विगत दो वित्तीय वर्ष से अवरूद्ध होकर रह जाना।

उत्तराखण्ड शासन के पत्र सः 230/xxiv (7) 14-54 (2) 13 दिनाँक 23/01/2014 के माध्यम से संचित, उत्तराखण्ड शासन द्वारा निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी, नैनीताल को समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत संचालित अनुसूचित जाति के इंजीनियरिंग व मेडिकेल कक्षाओ मे अध्धयनरत छात्र–छात्राओ हेतु संचालित लेपटाप वितरण योजना हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2013 –14 मे ₹ 400.00 लाख की धनराशि प्रदान किया गया था। पत्र मे यह निर्देश दिया गया था कि उपरोक्त कार्य के अतिरिक्त किसी अन्य कार्य मे धनराशि का व्यय नहीं किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि का आहरण निदेशक, उच्च शिक्षा द्वारा करने के उपरान्त निदेशक, समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी, नैनीताल को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से उपल्ब्ध करायी जायेगी एवं उक्त स्वीकृत धनराशि का सदुपयोग निदेशक, समाज कल्याण द्वारा गाइडलाइन के आधार पर किया जायेगा।

शासन के आदेशानुसार संयुक्त निदेशक, उच्चशिक्षा, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी द्वारा उनके पत्र सः डिग्री– लेखा /14894/ 2013-14 दिः 12/02/20104 को बैंक ड्राफ्ट सः 564468 दिः 08/02/2014 के माध्यम से धनराशि ₹ 400.00 लाख निदेशक, समाज कल्याण, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी को प्रेक्षित कर दिया एवं उक्त धनराशि समाज कल्याण निदेशालय के बैंक खाता सः 27730100008532 मे दिनाँक 05–03–2014 को जमा हुआ था।

लेखापरीक्षा जांच के दौरान यह पूछा गया था कि निदेशालय स्तर से कोई survey किया गया या कोई समिति का गठन किया गया था ताकि उक्त धनराशि का उपयोग हो सके। उत्तर मे विभाग के तरफ से बताया गया कि कमेटी का गठन किया गया था जिसकी साक्ष प्रस्तुत किया गया। कमेटी का गठन शासन के पत्र सः 1432/xvii – 1/2014 – 10(08) / 2013 दिनाँक 02-07-2014 के माध्यम से किया गया था जिसमें निदेशक, समाज कल्याण के अतिरिक्त और 5 सदस्य थे। साक्ष में निदेशक, समाज कल्याण, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी के पत्र सः 4176 सः कः /शिक्षा/लैपटाप/2015–16 दिः 01/03/2016 जो कि शासन को भेजा गया जिसमे कुल छात्र सः 757 के हिसाब से कुल अनुमानित लागत ₹ 242.24 लाख भी प्रस्तुत कराया गया।

निदेशालय के तरफ से प्रस्तुत किये गये साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि धनराशि दिनाँक 05/03/2014 को प्राप्त हुई तथा कमेटी का गठन दिनाँक 02–07–2014 को हुआ एवं शासन को कुल लागत की जानकारी दिया गया दिनाँक 01/03/2016 को तुरन्त धनराशि जिस उद्देश्य से आवंटित किया गया था उससे अनुसूचित जाति के छात्र–छात्राओ अभी तक वंचित है।

विगत 3 वर्षो से अतः निदेशालय के बैंक खाते में ₹ 400.00 लाख की धनराशि अवरूद्ध होकर रह जाने का प्रकरण उच्चाधिकारी के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग–2 (ब)

प्रस्तर 6 : 01 रोकडबही एवं कोषागार में ₹ः 10.84 लाख धनराशि के भिन्नता।

कार्यालय निदेशालय समाज कल्याण, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी, नैनीताल के रोकडबही के साथ चयनित माह मार्च 2016 की बाउचर जांच में ट्रेजरी शीट BM-5 में धनराशि ₹ 10,84,471.00 की व्यय दर्शाया नही गया जबकि कार्यालय के रोकडबही में दिनांक 22/03/2016 को ₹ः 10,58,338 =00 एवं दिनांक 31/03/2016 को ₹ः 26,133 =00 कुल ₹ः 10,84,471 =00 की प्रविष्टियां व्यय में दर्शाया गया है।

लेखापरीक्षा में पूछे जाने पर निदेशालय के तरफ से बताया गया कि इस सम्बन्ध में कोषाधिकारी को पत्राचार के माध्यम से समाधान किया जायेगा।

अतः प्रकरण को उच्चाधिकारी के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग–तीन

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमिततायें, जिनका समाधान/निराकरण लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं किया जा सका है, उन्हें पृथक रूप से नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर अलग से **निदेशक समाज कल्याण, उत्तराखण्ड हल्द्वानी, नैनीताल** को इस आशय से प्रेषित की गयी की वे लेखापरीक्षा टिप्पणी की प्राप्ति के एक माह के अन्दर उसकी अनुपालन आख्या सीधे वरिष्ठ उपमहालेखाकार/सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, सी–1/105 वैभव पैलेस, इन्दिरानगर, देहरादून को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
सामाजिक क्षेत्र